राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/मुख्या./एमडीएम/खाआउठाव/21–22/34–49 दिनांक : – 1/4/2021

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, जिला जोधपुर।
5. पी. ई. ई. ओं. समस्त पंचायत, समस्त ब्लॉक, जिला जोधपुर।
6. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/संस्कृत/मदरसा/राउमावि/राबाउमावि/ रामावि/राबामावि/ राउप्रावि/राबाउप्रावि/राप्रावि/राबाप्रावि जिला जोधपुर।

विषय :– COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने के कारण विद्यार्थियों को दिनांक 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि की कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स वितरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– आयुक्त, मिड डे मील राजस्थान सरकार के पत्रांक 851 दिनांक 31.3.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कोविड–19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट राशि से चरणबद्ध तरीके से दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर से क्रय कर वितरण करने का निर्णय लिया लिया गया था, उसी के निरन्तरता में दिनांक 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स का वितरण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स का इस अवधि में वितरण भी प्रथम चरण की भांति ही राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर कॉनफैड द्वारा विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया जायेगा। दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित उपरोक्त समस्त अधिकारियों को निम्नलिखित आवश्यक निर्देश प्रदान किये जाने जाते है : –

1. आयुक्तालय, मिड डे मील द्वारा जिलों को दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बोपैक (01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक) के आवंटन आदेश जारी किये गये है। उक्त आवंटन आदेश के अनुसार कॉनफैड द्वारा, उच्च गुणवत्तापूर्ण, निर्धारित मात्रा के कॉम्बो पैकिट तैयार कर ब्लॉको में स्थित विद्यालयों तक आपूर्ति की जायेगी। दाल, तेल, मसाले आदि के विद्यालयों तक आपूर्ति तक सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉनफैड की रहेगी।
2. कॉम्बो पैकेटों को विद्यालयों तक समय पर वितरण के लिए सम्पूर्ण दायित्व कॉनफैड का होगा।

3. कॉम्बो पैकेटों को विद्यार्थियों को वितरण करने का दायित्व कॉनफैड का नहीं हैं। विद्यालयों में कॉम्बो पैकेटों की आपूर्ति प्राप्त होन के उपरान्त विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को इन पैकिट का वितरण विद्यालय के संस्था प्रधान/पोषाहार प्रभारी के द्वारा किया जायेगा।
4. कॉनफैड द्वारा आपूर्ति किये जा रहें कॉम्बो पैकिट की इस प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों का सहयोग आपेक्षित हैं।
5. सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि में कॉनफैड द्वारा आपूर्ति की जा रही सामग्री के रेन्डम सैम्पल की एनालिसिस रिपोर्ट मय गुणवत्ता की पुष्टि राष्ट्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान प्रत्यापन बोर्ड (N.A.B.L) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराकर रिपोर्ट एक प्रति जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे।
6. कॉनफैड कॉम्बो पैक में रखी जाने वाली समस्त सामग्री निर्धारित मानको के अनुसार उपलब्ध करायेंगे।
7. मिड डे मील विभाग द्वारा सामग्री के रेन्डम सैम्पल की जांच सरकारी प्रयोगशाला से करवाई जा सकेगी।
8. कॉनफैड द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति के समय पर विद्यालय के संस्था प्रधान एवं मिड डे मील प्रभारी कॉम्बों पैकिट प्राप्त करने से पूर्व इनकी अवश्य जाँच कर लेवें।
9. इस अवधि के लिये आवंटित कॉम्बों पैकिट का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा।
10. कॉनफैड के अधिकृत परिवहन ठेकेदार दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट संस्थाप्रधान/मिड डे मील प्रभारी को उपलब्ध कराकर इसकी प्राप्ति रसीद/चालान पांच प्रतियों में प्राप्त करेगा। एक प्रति विद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

क्र.सं	सामग्री का विवरण	कॉम्बो पैकिट में सामग्री की मात्रा	
		प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)
1	चना दाल (FSSAI Standard)	2 किलोग्राम	3 किलाग्राम
2	मूंग छिलका दाल (FSSAI Standard)	3 किलोग्राम	5 किलाग्राम
3	तेल (सोयाबीन) (FSSAI Standard)	1 लीटर	1.5 लीटर
4	धनिया पाउडर (एगमार्क)	500 ग्राम	700 ग्राम
5	मिर्च पाउडर (एगमार्क)	500 ग्राम	700 ग्राम
6	हल्दी पाउडर (एगमार्क)	500 ग्राम	700 ग्राम
7	नमक (आयोडाईज) (FSSAI Standard)	2 किलोग्राम	3 किलोग्राम
8	जीरा (FSSAI Standard)	200 ग्राम	200 ग्राम

11. संस्था प्रधान/पोषाहार प्रभारी पैकिट्स एवं मात्रा की गणना, सामग्री के मिलान उपरान्त ही परिवहन ठेकेदार को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेंगे। प्राप्ति रसीद पर विद्यालय का नाम, हस्ताक्षर मय सील, नाम एवं पदनाम एवं प्राप्त सामग्री की मात्रा एवं पैकिट संख्या स्पष्ट तौर पर अंकित किये जायेंगे।
12. विद्यालय द्वारा प्राप्त पैकेट का विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर/स्टॉक पंजिका में ईन्द्राज किया जायेगा। स्टॉक प्रविष्ठि के पृष्ठ संख्या एवं दिनांक का उल्लेख प्राप्त सामग्री की रसीद/चालान में किया जायेगा।

13. संस्थाप्रधान द्वारा कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कॉम्बो पैकिट का वितरण उनके माता–पिता/अभिभावकों को किया जायेगा। कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कॉम्बो पैकिट का वितरण सम्बन्धित विद्यार्थियों अथवा उनके माता–पिता/अभिभावकों को किया जायेगा।
14. पीईईओ/शहरी नोडल (सीआरसी) अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों में कॉम्बो पैकिट्स के वितरण का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
15. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर पर्यवेक्षण करेंगे।
16. विद्यालय में कॉम्बो पैकेट के वितरण की समेकित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को भिजवायेंगे।
17. विद्यालय के माता–पिता/अभिभावकों को वितरण की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रिकॉर्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किये जायेंगे। सम्बन्धित प्रभारी एवं संस्था प्रधान कॉम्बो पैकेट के वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध करायेंगे।
18. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी दिशा–निर्देशानुसार Social Distance Norms की पालना करते हुये कॉम्बोपैकिट्स का वितरण किया जाये।
19. कॉम्बो पैकेट के वितरण के महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरें (HD Quality) भी ली जाये। कोविड 19 की अवधि में मिड डे मील कार्यक्रम के संचालन के संबंध में यथा संभव जिला स्तर से Short Movie भी तैयार की जाये जो विभाग को भी भिजवाई जाये।
20. मिड डे मील योजनान्तर्गत कॉम्बो पैकेट का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्रथम चरण में किये गये भुगतान की भांति ही किया जायेगा।
21. कॉनफेड यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई सामग्री की (विद्यालयों से प्राप्त) प्राप्ति रसीद की एक प्रति, बिल के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
22. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कॉनफेड को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से विद्यालयों से प्राप्त रसीदों का संबंधित **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित उपरान्त** मिलान कर विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार नियमानुसार भुगतान करेंगे।
23. कॉनफैड द्वारा आपूर्ति किये जा रहे पैकेट का भुगतान क्रय आदेश में अंकित अनुमोदित दर से कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से किया जायेगा।
24. कॉनफैड द्वारा बिल प्रस्तुत करने के दिवस से ही प्राप्ति रसीदों से सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये दस दिवस की अवधि में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
25. कॉनफैड को कॉम्बो पैकेट का भुगतान दिशा–निर्देश, वित्तीय नियमों एवं विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये किया जाये।
26. कॉनफैड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री मानदण्डानुसार नहीं होने अथवा वजन में कम पाये जाने एवं समय पर आपूति नहीं होने पर आरटीपीपी नियमों एवं सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम, निर्देशों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

27. 01 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 कर अवधि में नव प्रवेशी विद्यार्थियों की तिथिवार/विद्यालयवार सूचना अलग से प्रदान करें।
28. **उक्त पैकेट केवल जुलाई 2020 में नामांकित विद्यार्थियों को ही प्रदान करना हैं।**
29. माह जुलाई 2020 के नामांकन की ब्लॉकवार सूचना निम्नानुसार है : –

क्र. सं	ब्लॉक	आवंटित (दाल, तेल, मसाले आदि) कॉम्बो पैकेट की संख्या		
		प्राथमिक कक्षा 1–5	उच्च प्राथ. कक्षा 6–8	योग
1	BALESAR	7810	4303	12113
2	BAP	15606	6227	21833
3	BAPINI	12065	5422	17487
4	BAORI	7665	4134	11799
5	BHOPALGARH	6625	3573	10198
6	BILARA	6519	3817	10336
7	DECHU	7862	3370	11232
8	JODHPUR CITY	16468	8230	24698
9	LOHAWAT	11592	4824	16416
10	LUNI	17413	10315	27728
11	MANDORE	9525	6087	15612
12	OSIAN	9931	5432	15363
13	PHALODI	13597	6373	19970
14	PIPAR CITY	7057	3547	10604
15	SEKHALA	7966	3703	11669
16	SHERGARH	12971	5592	18563
17	TINWARI	6943	6354	13297
	TOTAL	177615	91303	268918

अतः निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित की जाये।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर
जोधपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/मुख्या./एमडीएम/खाआउठाव/21–22/56-51 दिनांक : – | /6/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं : –
1. श्रीमान आयुक्त महोदय, मिड–डे–मील कार्यक्रम, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. गार्ड फाईल।

जिला कलक्टर
जोधपुर

{ FILENAME \p }